संख्या– 96/2021/2113/छप्पन-2021-31/2016

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2021

विषय: नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित/हितबद्ध भू-स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के क्रम में पुन: सर्वे के आधार पर श्रेणी 1(क) की भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन/पुर्नमूल्यांकन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि एवं उस पर भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तोषण दिए जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से सहमति/स्वीकृति प्रदान करते हुए मूल्यांकित/पुर्नमूल्यांकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-392/ए.एफ.-2021-116/2016 दिनांक 08 नवम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु श्रेणी 1(क) की भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन/ पुर्नमूल्यांकन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि एवं उस पर 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि अर्थात् कुल धनराशि रू0 35,41,01,683/- (रूपया पैंतीस करोड़ इकतालीस लाख एक हजार छ: सौ तिरासी मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं इसके सापेक्ष 37.5% राज्यांश की धनराशि रू0 13,27,88,131/- (रूपया तेरह करोड़ सत्ताईस लाख अठ्ठासी हजार एक सौ इकतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु श्रेणी 1(क) की भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन/ पुर्नमूल्यांकन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि रू0 17,70,50,841.50 एवं उस पर भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि रू0 17,70,50,841.50 सहित कुल धनराशि रू0 35,41,01,683/- (रूपया पैंतीस करोड़ इकतालीस लाख एक हजार छ: सौ तिरासी मात्र) पर सहमति/स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि रू0 35,41,01,683/- (रूपया पैंतीस करोड़ इकतालीस लाख एक हजार छ: सौ तिरासी मात्र) में से राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 13,27,88,131/- (रूपया तेरह करोड़ सत्ताईस लाख अठ्ठासी हजार एक सौ इकतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा इस धनराशि का व्यय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई कुल धनराशि रू0 35,41,01,683/- (रूपया पैंतीस करोड़ इकतालीस लाख एक हजार छ: सौ तिरासी मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों द्वारा अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि तत्काल कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर उपलब्ध कराई जाए।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 13,27,88,131/- (रूपया तेरह करोड़ सत्ताईस लाख अठ्ठासी हजार एक सौ इकतीस मात्र) तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजीगत लेखा-लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-2047/दस-2021, दिनांक 16 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 96/2021/2113(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त बढ़ी हुई धनराशि रू0 35,41,01,683/- में से NIAL के अंशधारकों के रूप में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि तत्काल कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर।

6- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

8- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

9- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.

11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।